बड़ी संख्या में महिलाएं झाड़ू और लाठियां लेकर पहुंचीं, सांसद पर पत्थर फेंककर शर्ट तक फाड़ डाली

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर लोगों ने जूते और अंडे फेंके

पश्चिम बंगाल

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर क्षेत्र में कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई। वह चुनाव बाद हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के काफिले का विरोध करते हुए उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके। इस दौरान चोर-चोर के नारे भी लगाए गए। हंगामे के बीच कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की। घटना के दौरान अभिषेक बनर्जी की शर्ट फट गई। बाद में उन्हें सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाकर वहां से बाहर निकाला गया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह हमला पहले से सुनियोजित था।

उन्होंने कहा, देखिए मेरे साथ क्या किया गया। यहां पुलिस मौजूद नहीं थी। मुझे मारने की कोशिश की गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं झाड़ू और बांस की लाठियां लेकर पहुंचीं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। अभिषेक को प्राथमिक उपचार के बाद कोलकाता के बेल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीएमसी नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की।

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में शनिवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी (हेलमेट पहने हुए) पर भीड़ ने हमला कर दिया। किसी तरह वह बचकर निकले। ●प्टइ

घटना के बाद सांसद ने फोन कर पुलिस को हमले की सूचना दी। ●प्टइ

विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा

नई दिल्ली/कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हो गए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ विपक्षी नेता को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को दर्शाता है। वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां-जहां भाजपा सत्ता में आती है, वहां डर और हिंसा का माहौल पैदा हो जाता है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि हमले के बावजूद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात का फैसला नहीं बदला। राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा।

बदले की राजनीति का कुरूप चेहरा : राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसी सांसद पर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र और उसे चुनने वाली जनता पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की बदले की राजनीति का कुरूप चेहरा है। राहुल ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने तथा जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

भाजपा को शर्म आनी चाहिए : ममता बनर्जी

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शासक हत्यारे बन गए हैं, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला सुनियोजित था और उनकी यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया।

हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं : भट्टाचार्य

भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह स्थानीय लोगों के वर्षों से जमा गुस्से का नतीजा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी लगातार हमले होते रहे हैं।

केंद्र संग मिलकर काम करेंगे : शुभेंदु

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य को 'डबल-इंजन सरकार' के सभी फायदे मिल सकें।

मुख्यमंत्री शुभेंदु केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में राज्य में स्वच्छ ऐप लॉन्च करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली और शहरी विकास क्षेत्रों में राज्य के पुनर्निर्माण की काफी गुंजाइश है।

'कई नेता भाजपा में आने को उत्सुक'

कोलकाता, एजेंसी। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसदों-विधायकों के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अभी उनमें से किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।

एक साक्षात्कार में भट्टाचार्य ने कहा कि अपने दम पर जनादेश हासिल करने के बाद भाजपा पर विरोधी खेमों से नेताओं को शामिल करने का कोई दबाव नहीं है। भविष्य में संभावनाओं पर उन्होंने कहा, 'हम किसी भी दागी नेता के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे।'

देश 30s

अमित शाह से मिले हरभजन सिंह

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हरभजन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। हरभजन ने 'एक्स' अकाउंट पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, नई दिल्ली में मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, राज्य के विकास, जन कल्याण और कानून-व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई।

गृहलक्ष्मी योजना का बकाया जारी करें : भाजपा

बेंगलुरु। भाजपा विधायक एस. सुरेश कुमार ने शनिवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से अनुरोध किया कि वे राज्य में संचालित 'गृहलक्ष्मी योजना' के लाभार्थियों को बकाया जारी करें। दावा किया कि यह रकम करीब 5000 करोड़ की है। सुरेश ने सिद्धरमैया को लिखे पत्र में कहा कि नौ दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक महेश टेंगिनकाई ने यह मामला उठाया था। मगर इस पर सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

फगवाड़ा। पंजाब के जालंधर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता सिमरनजीत सिंह की शनिवार को कथित तौर पर उनके घरेरे भाई ने वित्तीय विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शरणजीत सिंह उर्फ ट्रिवेंजल को गिरफ्तार कर लिया है। जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला के अनुसार, घटना फगवाड़ा के सतनामपुरा बाना क्षेत्र के महेरू गांव के पास हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिमरनजीत और शरणजीत के बीच करीब पांच लाख रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था।

पंजाब सरकार के विभागों में अनुबंध भर्ती बंद

चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी विभागों में अब अनुबंध और आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने शनिवार को इससे जुड़े दो विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 और पंजाब स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल बिल, 2026 विधानसभा में पेश किए जाएंगे। इससे 51 विभागों में कार्यरत 65,048 आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को दूसरे कर्मियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

चिटफंड कंपनी के तीन अफसरों को सजा

अगरतला। त्रिपुरा की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने चिट फंड कंपनी के तीन अधिकारियों को छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 800 से ज्यादा जमाकर्ताओं से 5.5 करोड़ की धोखाधड़ी की है। विशेष सीबीआई जज, देबाशीष कर ने उनाकोटी के जिला मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया कि वे 'प्रगतिशील इंडिया प्रोजेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' की संपत्तियों को जब्त कर ले, ताकि ठगे जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जा सके।

कांस्टेबल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस

रुद्रपुर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में तैनात एक कांस्टेबल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि कांस्टेबल ने पशु अवशेष और मलबा एक धार्मिक स्थल के समीप फेंक दिया। तहरीर के अनुसार उत्तराखंड पुलिस में तैनात अजीम नामक कांस्टेबल ने 29 मई की दोपहर अपने घर के सामने बकरे की कुर्बानी दी। आरोप है कि इसके बाद पशु अवशेष और अन्य मलबा धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने डाल दिया। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा और धमकी दी।

दूध के लिए रोने पर पिता ने बेटे को मारा डाला

मुंबई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शहर के पवई इलाके में दूध के लिए बार-बार रोने पर पिता ने अपने चार साल के बच्चे की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद आरोपी पिता राजेश प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह गौतम नगर इलाके में अपनी मां, पत्नी और पांच और चार साल के दो बेटों के साथ रहता था। उसका छोटा बेटा यश (4) एक विशेष बच्चा था और मुख्य रूप से दूध पर ही निर्भर था। अधिकारी ने बताया कि राजेश बेरोजगार था, और उसकी पत्नी कथित तौर पर लगभग 15 दिन पहले उसे और उनके बच्चों को छोड़कर चली गई थी।

गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा अभी नहीं: मेघवाल

दावा

- कहा, यह अधिकार राज्य सरकारों के पास है
- ऐसा प्रस्ताव आएगा तो कैबिनेट विचार करेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने या देशभर में उसकी हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेघवाल ने बताया कि गाय की हत्या से जुड़े कानून राज्यों में अलग-अलग हैं। इस संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। गाय को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सांसदों और सरकार के सामने ऐसे प्रस्ताव अक्सर आते हैं। मगर अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, जिस पर कैबिनेट के विचार की जरूरत होगी तो इसकी जानकारी दी जाएगी।

विश्वसनीयता बड़ी चुनौती : सिंधिया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस को सेंसरशिप और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज के एआई और डीपफेक तकनीक के दौर में पत्रकारिता के सामने चुनौतियां अलग हैं। इनमें सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है।

सिंधिया ने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत के 200 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पत्रकारिता केवल डाटा के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानवीय अंतरात्मा को सुरक्षित रखने के बारे में है।

'महंत शिष्यों का आध्यात्मिक प्रमुख'

अदालत से

- सुप्रीम कोर्ट ने मठाधिपति के पद से हटाने का आंध्र प्रदेश का फैसला रद्द किया

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकार किसी मठाधिपति के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों को स्थायी रूप से अलग नहीं कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मठाधिपति के धर्मनिरपेक्ष कार्यों को स्थायी रूप से सरकारी अधिकारी को सौंपा 'महंत पद' की अवधारणा का खंडन होने के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद-26 का उल्लंघन है।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और एस.एस. चदुरकर की पीठ ने कहा कि 'महंत पद की अवधारणा' में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं। पीठ ने तिरुपति में ऐतिहासिक 'श्री स्वामी हाथीरामजी मठ' के मठाधिपति के पद से अर्जुन दास को हटाने के आंध्र प्रदेश सरकार फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की। पीठ ने सरकार द्वारा मठ का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले के अपने पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 'महंत पद की अवधारणा में, पद और संपत्ति, कर्तव्यों और व्यक्तिगत हितों, दोनों के तत्व आपस में घुले-मिले होते हैं और किसी को भी दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।'

शीर्ष अदालत ने कहा कि महंत केवल मठ की सांसारिक संपत्तियों का प्रबंधक मात्र नहीं होता, बल्कि वह शिष्यों के एक समुदाय का आध्यात्मिक प्रमुख और श्रेष्ठ होता है। इस अवधारणा को आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थाएं और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आईएसआई के निर्देश पर की गई थी रेकी

खुलासा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े मॉड्यूल के संदिग्धों का नेटवर्क महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में फैला था। दो आरोपियों ने आईएसआई के हैंडलर्स के निर्देश पर अक्तक छह जगहों की रेकी की थी। ये स्थान दिल्ली और मुंबई से जुड़े बताए जा रहे हैं।

अभियान से जुड़ी स्पेशल सेल की टीम अब मुंबई के हुजैफा नाम के संदिग्ध की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी, यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा के लिए काम करता था और इसने ही पकड़े गए दो संदिग्धों तौकीर और अरबाज को दिल्ली और मुंबई में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड हमलों और गोलीबारी को अंजाम देने का काम सौंपा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि खुफिया इनपुट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरोपी विजय उर्फ शूटर को पहले पुणे से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके सहयोगी नीतीश को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया।

विजय पाकिस्तान और दुबई से संचालित हो रहे नेटवर्क के सदस्यों के साथ संपर्क में था और उसे विभिन्न राज्यों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने व युवाओं की भर्ती करने का काम सौंपा गया था। विजय से पूछताछ के आधार पर मुंबई से तौकीर और अरबाज को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इन्हें मुंबई के हुजैफा (जो फिलहाल फरार है) नाम के व्यक्ति ने अपने साथ जोड़ा था। वह खुद शहजाद भट्टी, यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर काम करता है। तौकीर और अरबाज को दिल्ली और मुंबई में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड हमलों और गोलीबारी को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि पंजाब का एक और समूह इसी नेटवर्क के इशारे पर हमला करने के इरादे से दिल्ली आ रहा है। इसके बाद सतर्क टीम ने पंजाब के रहने वाले तीनों आरोपियों हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह को महरौली-बदरपुर रोड पर धर दबोचा और उनके पास से हथियार बरामद किए गए। इसके बाद नेपाली नागरिक आंग कामी लामा को गिरफ्तार किया गया, जिसे आरोपियों के लिए छिपने के ठिकाने और फंडिंग की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार संदिग्धों से कई हथियार बरामद किए।

चिंता: बच्चों पर सोशल मीडिया का बढ़ता असर

नई दिल्ली। डिजिटल युग में, सोशल मीडिया बच्चों और किशोरों के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में लगभग 40 करोड़ बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

देश में 76 फीसदी बच्चे स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम काफी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया कि खासकर भारत में, जहां कम उम्र के इंटरनेट उपयोगकर्ता युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय अभी भी सीमित हैं।

पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या

गाजियाबाद,व.सं.। अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की शनिवार दोपहर उसके दोस्त ने ही हत्या कर दी। उनका शव लहूलुहान हालत में साईं उपवन में मिला। पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ लिया और उसने गुनाह कबूल लिया है।

मोदीनगर के चिराग त्यागी बेंगलुरु में आयोजित आठवीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे थे। आरोपी यश खटीक भी पैरालंपिक खिलाड़ी है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान चिराग ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिक्षक को 10 साल कैद

शिमला। हिमाचल प्रदेश की अदालत ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कुछ छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एनटीए ने बताया कि टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) की तरफ से आई तकनीकी खराबी के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा देरी से शुरू हुई। बाद में समस्या ठीक कर ली गई।

पहली पाली में 3765 छात्र ऐसे रहे, जिनका बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा करा लिया गया था, लेकिन इसी बीच तकनीकी गड़बड़ी के चलते प्रक्रिया अटक गई। इन छात्रों के लिए परीक्षा का दोबारा आयोजन कराया जाएगा।

वहीं, टीसीएस के सीईओ और एमडी के. कृतिवासन ने कहा कि छोटी सी तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा में दो घंटे की देरी हुई। छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सीयूईटी परीक्षा में तकनीकी खराबी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार विश्वगुरु होने का दावा करती है, लेकिन हाल में लगातार हुई चार परीक्षाओं में से एक भी पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता से आयोजित नहीं कराई जा सकी है।

सरकार सिर्फ दिखावा कर रही: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीयूईटी में बाधाओं को लेकर केंद्र को घेरा। उन्होंने नीट-यूजी के पेपर वायुसेना के विमानों से पहुंचाने को लेकर सवाल उठाया और इसे दिखावा करार देते हुए पूछा कि क्या पेपर लीक होने की पूरी गारंटी तय हो जाएगी।

punjab national bank ... name you can BANK upon!
पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

एवारएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को

ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी भार्ज की गई है, जिसका स्वनामलक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है''** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 30.04.26 तक 13(2) की दिनांक 13(4) की दिनांक कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य अंकित धनराशि (रु0 लाख में) मुद्रांकित धनराशि अंकित धनराशि: जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारसाधक का विवरण
1.	**ऋणी: 1. मेसर्स स्वास्तिक एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर: श्री शिवाकांत दुबे पुत्र जय प्रकाश दुबे, पता: गांव: कांधरपुर, निमुर्ति ईंट भट्ठा के पास, मुंडादगंज, सदर जौनपुर उ0प्र0–222001 2. श्री विवाकान्त दुबे पुत्र जय प्रकाश दुबे,** गांव: कांधरपुर, मुंडादगंज जौनपुर, उ0प्र0–222001 **जमानतकर्ता: 3. श्री सतीश कुमार दुबे पुत्र मानिकचंद्र दुबे,** ग्राम कांधरपुर, मुंडादगंज, जौनपुर, उ0प्र0– 222001 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: 4. श्री जय प्रकाश दुबे पुत्र मानिक चंद्र दुबे,** पता: गांव– कांधरपुर, मुंडादगंज, जौनपुर, उ0प्र0– 222001 **शाखा: एवारएमबी वाराणसी (83310 0)**	पंजीकृत बंधकदाता की आवासीय सम्पत्ति आवासी संख्या 10, ग्राम/मोहल्ला – कंधारपुर, परगना–बेलेती, तहसील सदर, जिला जौनपुर में स्थित है। क्षेत्रफल 0.045 हेक्टेयर अर्थात् 4843.76 वर्ग फुट, जो कि कुल 0.599 हेक्टेयर में से है। खेसरा सं0 8407, दिनांक 01.10.2018 के अनुसार, जो उप-पंजीयक कार्यालय सदर, जौनपुर में बुक संख्या 1, खंड संख्या 7520 के पृष्ठ 257 से 274 पर पंजीकृत, मालिकः जय प्रकाश दुबे पुत्र स्वर्गीय मानिकचंद, **चौहद्दी: विलेख के अनुसार: पूर्व**–आवासी संख्या 11, **पश्चिम**–पक्की सड़क, **उत्तर**–आवासी संख्या 10, चतीश कुमार, **दक्षिण**–आवासी संख्या 10, ओम प्रकाश	**रू0 35,70,418.09** (भाव के साथ दिनांक 01.05.2026 से प्रभावी – नीलामी एवं अन्य शुल्क लागू हुई, सरकार लागूी यदि कोई हो) **14.06.2021** **20.09.2021** सांकेतिक	**19,25,000.00** **1,92,500.00** **25,000.00** **16.06.2026**	**16.06.2026 11:00 AM to 04.00 PM**	कुछ नहीं

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **''जहां है जैसे है'' और ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी वहाँ है''** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्दशोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://ebkray.in/baanknet.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट https://ebkray.in/baanknet.com पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखे https://ebkray.in/baanknet.com और www.pnbindia.in/ **या श्री रूद्र नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) से सम्पर्क करें।**

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनांक : 30.05.2026, स्थान: वाराणसी सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

नगर निगम वाराणसी

पत्रांक - 113/प.क.अ./26-27 दिनांक-30.05.2026

अल्प कालिन ई-निविदा सूचना

वाराणसी नगर निगम सीमानर्गत बन्दरों को पकड़ने व उनके प्रक्रतावास में छोड़ने हेतु ई-निविदा दिनांक 30.05.2026 से आमंत्रित की जाती है निविदा की विस्तृत शर्ते अधिकृत वेबसाइट **www.nnvns.org.in** से प्राप्त की जा सकती है तथा अधिकृत वेबसाइट **www.etender.nic.in** पर निविदा फार्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है।

क्रमांक	जमानत धनराशि (रुपये में)	निविदा फार्म का मूल्य (रुपये में)
1	50,000.00	1180.00 (18 प्रतिशत जी.एस.टी.सहित)

निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	30.05.2026 दोपहर 02:00 बजे
निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	01.06.2026 दोपहर 02:00 बजे
निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	15.06.2026 सायं 04:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि/समय	16.06.2026 सायं 04:00 बजे

पशु कल्याण अधिकारी
नगर निगम वाराणसी

पत्रांक - 58/मी.प.वि./26-27 दिनांक-30.05.2026

नगर निगम, वाराणसी

ई-निविदा सूचना संख्या-230/मु.अधि./2026-27 दिनांक-30.05.2026

निविदा सूचना संख्या-43/2026-27

कृपया सामान्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण नगर निगम, वाराणसी के वेबसाइट **www.nnvns.org.in** पर देखा जा सकता है। उक्त कार्य की निविदा **www.etender.up.nic.in** पर सबमिट की जावेगी। कार्यो का विवरण, नियम व शर्ते निम्नवत है:-

निविदा प्रकाशन वेबसाइट की तिथि/समय	दिनांक- 30.05.2026	12.00 बजे से
निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	दिनांक-30.05.2026	12.00 बजे से
निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	दिनांक-30.05.2026	12.00 बजे से
निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	दिनांक-08.06.2026	16.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि/समय	दिनांक-08.06.2026	16.30 बजे से

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम वाराणसी

पत्रांक - 59/मी.प.वि./26-27 दिनांक-30.05.2026

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों हेतु प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2021 (संशोधित परीक्षा परिणाम–06.09.2022) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में जनपद वाराणसी के लिए अनन्तिम सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के उपरान्त दिनांक 08.05.2026 को उपस्थित अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग की गयी है। काउन्सिलिंग में जो अभ्यर्थी उपस्थित नही हो सके उनका विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	एप्लीकेशन आईडी	नाम	पिता का नाम	आवंटित विद्यालय	विषय
1	09021887	विकास तिवारी	अशोक कु. तिवारी	श्री उमेश पू०मा०वि० नैपाली भवगतीधाम छीतमपुर वाराणसी।	गणित/विज्ञान
2	09003650	आनन्द कु. मौर्या	राजबहादुर मौर्या	कचनार परशुपुर पू०मा०वि० राजातालाब वाराणसी।	गणित/विज्ञान
3	09015629	अभियुत कुमार	विश्वनाथ	खजुरी चौधरी चरण सिंह कृषक वि० खजुरी मिर्जामुराद वाराणसी।	गणित/विज्ञान
4	09014486	रवि शंकर चौहान	लक्ष्मन चौहान	टिकमणी शिक्षा सदन जू०हा० स्कूल सकरकन्द गली वाराणसी।	अंग्रेजी
5	09005519	स्नेह यादव	सूर्य नाथ यादव	श्री उमेश पू०मा०वि० नैपाली भवगतीधाम छीतमपुर वाराणसी।	अंग्रेजी

अतः उपरोक्त अनुपस्थित अभ्यर्थियो को अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि अपने शैक्षिक अभिलेखों की दो–दो